न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2017 (राजसमन्द आर्डर

मोहनलाल पिता धूला जी जाट, निवासी माता जी का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. उदयराम पिता हजारी जी जाट, निवासी माता जी का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. उदयराम पिता धूला जी जाट, निवासी माता जी का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. गणेशलाल पिता धूला जी जाट, निवासी माता जी का खेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दिनांक 13.06.2017 प्र॰सं॰ 799/15

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित

———::———

निर्णय **दिनांक 05–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वत्व की आराजी नंबर 108 ग्राम माता जी का खेड़ा में स्थित है, जिस पर जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नंबर 93 सरकारी रास्ते नहर की पटरी से होकर प्रार्थीगण व विपक्षी के शामलाती आराजी चाह नंबर 101 में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश करते हुए विपक्षी की आराजी नंबर 107 की पश्चिमी पाली पर उत्तर

से दक्षिण होते हुए आराजी नंबर 108 की पूर्वी पाली से प्रवेश करते हैं, जो करीब 20 फिट चौड़ा होकर कदीमी रास्ता है, जिसका प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। उक्त रास्ते को विपक्षी ने पूर्व में बन्द कर दिया है, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा वर्ष 2010 में पुनः खुलवाया गया, लेकिन करीब डेढ़ माह पूर्व विपक्षी द्वारा रास्ते पर पत्थर आदि डालकर उसे सकड़ा कर दिया है, जिससे प्रार्थी अपने खेतों पर नहीं आ जा पा रहे हैं। अतएवं प्रार्थीगण की आराजी नंबर 108 में पहुंचने के लिए जो विपक्षी की आराजी नंबर 107 की पश्चिमी पाली पर करीबन 100 फिट उत्तर से दक्षिण लम्बाई में 20 फिट चौड़ाई में रास्ता है, उसे खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब विपक्षी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी के स्वामित्व की आराजी नंबर 107 में से कोई रास्ता आराजी नंबर 108 में जाने के लिए न तो कभी पूर्व में रहा है न ही वर्तमान में है। प्रार्थी की आराजी नंबर 108 में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो आराजी नंबर 341/97 की पश्चिमी पाली से होकर विपक्षी के आराजी में प्रवेश करता है। प्रमाण में वैकल्पिक रास्ते के फोटो, नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। आराजी चाह नंबर 101 से धोरा विपक्षी की आराजी नंबर 107 की पाली पर होकर कभी विद्यमान नहीं रहा, बल्कि उक्त धोरा चाह नंबर 101 में से होकर गुजरता हुआ प्राचीन समय से प्रार्थीगण के आराजी में जाता था। धोरे के पास विपक्षी की आराजी में कभी भी रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता आराजी नंबर 341/97 की पश्चिमी पाली पर मौजूद है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 13–06–2017 से राजस्व लोक अदालत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–10–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व कैम्प के पश्चात काफी समय तक पत्रावलियों की कोई जानकारी नहीं दी गयी अभी दिनांक 10–09–2017 को अपीलान्ट अपने

अधिवक्ता से मिला तो उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतएवं मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को बहस दिनांक 10–08–2018 को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये, परन्तु उसके द्वारा न तो कोई वकील नियुक्त किया गया है, न ही लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा बनायी गयी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, जबकि मौके पर तहसीलदार या रेवेन्यू इन्सपेक्टर नहीं गये। अधिनस्थ न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता आराजी नंबर 96 व 341/97 से होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 102 के खातेदार को आवश्यक पक्षकार होना मानकर त्रुटि पूर्ण निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में धारा 251 ए में राहत दिये जाने के लिए अथवा रास्ता दिये जाने के लिए निम्न 3 प्रमुख आधार हैं :–

1. भूमि जिसके लिए रास्ता चाहा गया है वह लैण्ड लॉक के रूप में हो अर्थात वहां जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो।
2. रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हो।
3. सबसे छोटा व सुगम रास्ता दिया जावे।

प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नक्शे के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि विवादित आराजी नंबर 108 में जाने के लिए सबसे छोटा एवं वैकल्पिक रास्ता बिलानाम आराजी नंबर 93 से आराजी नंबर 341/97 में पूर्व से ही उपलब्ध है, तो नया रास्ता दिये जाने का कोई तार्किक आधार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व विवेचन करते हुए मौका रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–06–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर